

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, सिवान के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 02 श्रमिक के आश्रित को रु० 4,00,000/- (चार लाख रुपए मात्र) का भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-1480, दिनांक-21.11.2025 क्रम संख्या-33 एवं 34 में वर्णित खाता संख्या में राशि अंतरित किया गया था, परन्तु आश्रित/लामार्थी के बैंक IFSC में त्रुटि रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-1480, दिनांक-21.11.2025 क्रम संख्या-33 एवं 34 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, सिवान के पत्रांक-35, दिनांक-08.01.2026 एवं पत्रांक-290, दिनांक-27.02.2026 तथा लेखापाल के अनुसार तथा मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी.	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	स्व० संतोष कुमार राम, 19, संपत राम, अनुसूचित जाति	लीलावती देवी, (माता)	35, 08.01.2026 1024, 29.08.2025	ग्रा०-भैसवड़ा, पो०-पंजवार, धाना-सिसवन, प्रखण्ड-सिवान, 9693105940	1006331 0100027 39	UBGB, PUNB0 MBGB 06	रु 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु भवन निर्माण में हेल्पर
01.	स्व० सतीश कुमार गोंड, 19, राजेश साह गोंड, अनुसूचित जनजाति	राजेश साह गोंड (पिता)	290, 27.02.2026 1025, 29.08.2025	ग्रा०-सुलतानपुर, पो०-धाना-आंदर, प्रखण्ड-आंदर, जिला-सिवान, 6204825056	1006811 0301245 78	UBGB, PUNB0 MBGB 06	रु 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु पेंटर का कार्य

कुल:- रु० 4,00,000/-
(चार लाख रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-1480, दिनांक-21.11.2025 क्रम संख्या-33 एवं 34 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

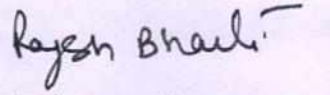
ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-74/2025(अंश)-848

पटना, दिनांक :- ०७/०७/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 4,00,000/- (चार लाख रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, सारण/श्रम अधीक्षक, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


03/07/2026
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक